प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **93/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
पोपट लाल खराड़ी पुत्र हुकाजी पताः ग्राम राजनगर, पोस्ट–बलीचा, तहसील–नयागांव उदयपुर

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को दिनांक 19.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/93/25/619–20 दिनांक 16.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक एफ1()आर.टी.आई./2025/1008 दिनांक 07.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में जवाब पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक एफ.1()/आर.टी.आई./2024–25/181 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा प्रार्थी को भिजवा दिया गया है। प्रार्थी के नाम से बंदुक लाइसेंस जारी करने हेतु पत्रावली इस कार्यालय के आवक रजिस्टर में दर्ज नहीं है और ना ही इस प्रकार का दस्तावेज कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध है जिसके कारण संबंधित पोपटलाल को बंदुक लाईसेंस जारी करने हेतु कोई भी दस्तावेज की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 181 दिनांक 06.03.2025 से स्पष्ट अवगत कराया गया है कि मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज कार्यालय रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) अनुसार यदि कोई सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है तो उसे उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर